न्यायालय न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र संख्याः– 107/2024

अशोक कुमार लखेरा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्या. मुख्य चि. एवं स्वा. अधिकारी, अलवर।
–आवेदक

बनाम

श्री अशोक कुमार यादव पुत्र श्री जसवन्त सिंह यादव, उम्र 52 वर्ष (खाद्य कारोबारकर्ता निर्माता मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स अशोक डेयरी गादौज तह. बहरोड जिला अलवर निवासी– निवासी– गादौज तह. बहरोड जिला अलवर।
– अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26(2) (ii)/धारा 51 एवं 58 एफएसएस एक्ट 2006 रुल्ल 2011

निर्णय

दिनांक 30-7-26

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित प्रकरण परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अशोक कुमार लखेरा द्वारा न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया है कि में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.05.2023 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एय अधिकारी अलवर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत था और मेरा गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 02 दिसम्बर 2022 के गजट भाग 1(ख) के क्रमांक 7 पर अंकित है जिसके अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राज जयपुर के आदेश क्रमांक 6235/22.12.2022 के द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर का कार्य क्षेत्र आवंटित किया हुआ है और अलवर जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते है एवं राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 11/04/2012 के गजट भाग 2 (क) के द्वारा क्षेत्राधिकार प्रदान किया हुआ है। गजट नोटिफिकेशन, क्षेत्राधिकार, नोटिफिकेशन एवं पदस्थापन कार्य क्षेत्र आवंटन आदेश की छायाप्रतियों न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
2. यह है कि दिनांक 11.05.2023 को प्रातः 09.20 बजे मुस्तगीस बाहैसियत खाद्य सुरक्षा गश्त खाद्य पदार्थों की चैकिंग हेतु सामान नमूनीकरण बैग सहित जाँच दल

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

के साथ मैसर्स अशोक डेयरी गादौज तह. बहरोड स्थित खाद्य विक्रय ईकाई पर पहुँचा। उक्त समय उक्त विक्रय स्थल पर विक्रेता श्री अशोक कुमार यादव पुत्र श्री जसवन्त सिंह यादव स्वयं मौजूद रहकर खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध आमजन को बिक्री वास्ते रखे हुए थे। मैने उक्त विक्रेता को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उनसे उनका नाम एवं पता पूछा जिस पर गवाहन श्री केशव कुमार गोयल एवं श्री हरिदत्त की उपस्थिति में विक्रेता द्वारा अपना नाम श्री अशोक कुमार यादव पुत्र श्री जसवन्त सिंह यादव (खाद्य) कारोबारकर्ता, मालिक एवं विक्रेता) निवासी गादौज तह बहरोड जिला अलवर का होना बताया एवं उक्त खाद्य कारोबार का स्वयं को मालिक होना बताया एवं मौके पर विक्रेता द्वारा अपना आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। मैनें उक्त विक्रेता से खाद्वय पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को जिस पर उक्त विक्रेता ने खाद्य पंजीयन पत्र नही होना जाहीर किया।

3. यह है कि उक्त निर्माण ईकाई का निरीक्षण करने पर निरीक्षण के दौरान उक्त निर्माण ईकाई पर आमजन को बिक्री वास्ते एक कैन में रखे करीब 20 लीटर मिश्रित दूध में मिलावट का शक होने पर गवाहन श्री केशव कुमार गोयल एवं श्री हरिदत्त की उपस्थिति में विक्रेता श्री अशोक कुमार यादव को जरिये फार्म नं. 5ए (जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वंय के हस्ताक्षर है) सूचित करते हुए उक्त मिश्रित दूध में से 2.0 लीटर निश्रित दूध वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया। जिसकी कीमत विक्रेता को रु 120/– (अक्षरे एक सौ बीस रूपये मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वंय के हस्ताक्षर है। फार्म नं. 5ए एवं रसीद माल खरीद न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

4. यह है कि नमूना जांच हेतु क्रय किये गये 2.0 लीटर मिश्रित दूध को विक्रेता एवं गवाहान को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा मिश्रित दूध को प्रत्येक बोतल से बराबर भरकर एयरटाइट ढक्कन बन्द किया।

लेबल तैयार कर उन पर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैनें स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाकर प्रत्येक बोतल को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेटकर एवं किनारों की सफाई की से मोडकर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक बोतल पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं0 बी–21317 जो श्रीमान डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर द्वारा हस्ताक्षरित मेरे पास उलपब्ध थी, को चारों बोतलों पर नींचें से उपर तक पूरे राउण्ड पर गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपडी कर प्रत्येक सील्ड नमूने पर विक्रेता के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये एवं गवाहन व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील्ड नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

5. यह है कि मौके पर की गयी कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे विक्रेता गवाहन को पढाकर, सुनाकर उनके हस्ताक्षर करवाये एवं मैने स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलग्न है।
6. यह है कि कार्यालय में उपस्थित होकर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार कर उन पर सील इम्प्रेशन उसी सील का लगाया जिसके द्वारा मौके पर नमूना सील मोहर किया था। नमूने की एक सील्ड बोतल मय फार्म नं० 6 की प्रति के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं फार्म नं 6 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर श्रीमान् खाद्य विश्लेषक, अलवर को जमा करवाकर नमूना जमा रसीद एवं फार्म नं. 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
7. यह है कि नमूने की दो सील्ड बोतल (द्वितिय व तृतीय भाग) को मय फार्म न० 6 की दो प्रतियों के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं नमूने की एक सील्ड नमूना भाग (चतुर्थ भाग) मय फार्म न0 6 की प्रति के श्रीमान डी.ओ. एवं मु चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर को जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
8. यह है कि उक्त मिश्रित दूध के नमूने की जांच रिपोर्ट मुझे जरिये श्रीमान डीओ एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर के पत्र क्रमांक 567 दिनांक 14.06.2023 के द्वारा प्राप्त हुई। जॉच रिपोर्ट के अनुसार U/s 3(1)(zz) (iv) (v) (vii) & (xi) of fssa 2006 असुरक्षित खाद्य पदार्थ (Unsafe Food) हाना पाया गया है। जांच रिपोर्ट मय कवरिंग पत्र श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर के साथ संलग्न परिवाद है।
9. यह है कि अशोक कुमार यादव पुत्र श्री जसवन्त सिंह यादव (खाद्य कारोबारकर्ता निर्माता मालिक एवं विक्रेता) ने उक्त मिश्रित दूध के नमूने की रेफरल लेबोरेटरी मैसूर से पुनः जॉच के लिए आवेदन प्रपत्र–8 में किया एवं पुनः जांच शुल्क के लिए 5900/– रूपये का पंजाब नेशनल बैंक ड्राफ्ट नं. 459314 दिनांक 12.07.2023 एवं पैकिंग सामग्री प्रस्तुत किया जिस पर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मु० चि० एवं स्वा० अधिकारी ने मेमोरेण्डम पत्रांक 617 दिनांक 13.07.2023 द्वारा उक्त ड्राफ्ट एवं नमूने का द्वितीय भाग पुनः जांच हेतु रेफरल फूड लेबोरेटरी मैसूर को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया। प्रपत्र–8 एवं मेमोरेण्डन साथ संलग्न परिवाद है।
10. यह है कि उक्त मिश्रित दूध के नमूने की रैफरल फूड लेबोरेटरी मैसूर से प्राप्त पुनः जांच रिपोर्ट कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक मु० / FSSA/23/सामान्य/772 दिनांक 30–11–2023 के द्वारा विक्रेता श्री अशोक कुमार यादव पुत्र श्री जसवन्त सिंह यादव को भिजवायी गई। उक्त जांच रिपोर्ट एवं जांच रिपोर्ट के साथ संलग्न पत्र की एक प्रति मुझे जरिये श्रीमान डी.ओ एवं मु चि एवं स्वा अधिकारी अलवर के उक्त पत्रांक की प्रतिलिपि के द्वारा प्राप्त हुई। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमूना U/s 3(1) (zx) of fssa 2006 के मानक स्तर के अनुसार नहीं होने से अनुसार अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) होना पाया गया। उक्त

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

जांच रिपोर्ट फार्म–ए एवं कवरिंग पत्र श्रीमान् डी.ओ एवं मु चि. एवं स्वा, अधिकारी अलवर के संलग्न परिवाद है।

11. यह है कि मेरे द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर को वास्ते अग्रिम आदेश हेतु पेश किये जिन्हाने प्रकरण के समस्त दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर एवं अध्ययन मनन कर अपने अभियोजन स्वीकृति पत्राक मुख्य/FSSA/2023/सामान्य/773/30.11.2023 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में न्यायनिर्णयन आवेदन श्रीमान् के समक्ष पेश करने हेतु प्राधिकृत किया है। उक्त अभियोजन स्वीकृति पत्रांक न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है ।

12. यह है कि उक्त अभियुक्त द्वारा बिना खाद्य पंजीयन पत्र के अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) मिश्रित दूध की बिक्री कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2) (ii) एवं नियम व विनियम 2011 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 58 में वर्णित है। अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है उक्त अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित किया जावे।

13. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तल्बी हेत नोटिस जारी किया गया। बाद तामिल अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल कुमार मीणा ने वकालतनामा पेश किया जो कि शामिल मिशल है। अप्रार्थी अधिवक्ता को जबाब हेतु अनेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी जबाब पेश नहीं करने पर अप्रार्थी का जबाब बंद कर प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया। प्रकरण में वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई। अप्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि जॉच रिपोर्ट में दूध में फैट की मात्रा कम पाई गई है क्योंकि लिया गया नमूना को हिलाृ मिलाकर नही लिया गया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सही से सैम्पल नही लेने के कारण जॉच रिपोर्ट में फैट की मात्रा कम पाई गई है अतः अप्रार्थी के खिलाफ की कार्यवाही को खारीज फरमानें की कृपा करें।

14. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों रिकॉर्ड का अवलोकन किया । प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिश्रित दूध में मिलावट का शक होने पर दूध वास्ते जाँच नमुना लिया जाकर नमूने को रैफरल फूड लेबोरेटरी मैसूर को भिजवाने तथा उनके द्वारा अपनी जाँच रिपार्ट से उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध अवमानक खाद्य पदार्थ पाया गया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया है कि खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है, दूध में फैट की मात्रा कम आने का कारण खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना सही से नही लिया जाना बताया है लेकिन अपने कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजात् रिकॉर्ड शाहदत प्रस्तुत नहीं की है केवल जुबानी कथनों के आधार पर पर्याप्त वजह दस्तावेजी रिकॉर्ड शाहदत के अभाव में प्रयोगशाला से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को गलत नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा बेचा गया खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध की गुणवत्ता सही नहीं होने पर प्रयोगशाला की जाँच रिपोर्ट अनुसार अवमानक खाद्य

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

पदार्थ होना पाया गया है जिसकी अप्रार्थी द्वारा बिना खाद्य अनुज्ञापत्र बिक्री कर एफएसएस 2006 की धारा 26 (2)(ii) नियम व विनियम 2011 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 58 के अनुसरण में दण्डित किया जाना उचित एवं न्याय संगत है। अतः अभियुक्त श्री अशोक कुमार यादव पुत्र श्री जसवन्त सिंह यादव, उम्र 52 वर्ष (खाद्य कारोबारकर्ता निर्माता मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स अशोक डेयरी गादौज तह. बहरोड जिला अलवर निवासी– गादौज तह. बहरोड जिला अलवर पर 50000/- [illegible] शास्ति आरोपित की जाती है। उक्त शास्ति राशि जरिये चालान एक माह में जमा कराकर रसीद चालान पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 30/4/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्याय निर्णायक अधिकारी
अति. जिला कलक्टर
एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली